POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 22.08.2025

1. थाना सेक्टर-142 पुलिस टीम द्वारा नौकर बनकर घर से चोरी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किए गए करीब 80-84 लाख रुपए कीमत के आयताकार सोने के सिक्के, 5,71,200 रुपए नकद व अवैध शस्त्र बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **22.08.2025** को **थाना सेक्टर-142** द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से वादी के घर में नौकर बनकर घर से चोरी करने वाला वांछित अभियुक्त कृष्ण कुमार पाण्डेय पुत्र राज किशोर पाण्डेय को GMIT पार्क के पास ग्रीन बेल्ट के गेट से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किए गए 100-100 ग्राम के 08 आयताकार सोने के सिक्के जिनकी कीमत करीब 80-84 लाख रुपए, 5 लाख 71 हजार 200 रुपए नकद व अवैध चाकू बरामद किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 17.08.2025 को वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त (नौकर) कृष्ण कुमार पाण्डेय द्वारा उनके घर से सोना व नकदी चोरी कर लिए थे। उक्त प्रकरण के संबंध में थाना सेक्टर-142 पर अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें अभियुक्त वांछित चल रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

कृष्ण कुमार पाण्डेय पुत्र राजकिशोर पाण्डेय निवासी ग्राम भालुहीपुर, थाना टाउन (आरा शहर), भोजपुर (बिहार), उम्र करीब 22 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0- 162/2025 धारा 306/317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-142, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. चोरी किए गए कुल 800 ग्राम के 08 आयताकार सोने के सिक्के।
2. चोरी किए गए 5 लाख 71 हजार 200 रुपए नकद।
3. अवैध चाकू।

डीसीपी सेंट्रल नोएडा द्वारा गिरफ्तार करने वाली टीम को 25000 रुपए नकद इनाम देने की घोषणा की गई।

2. थाना सेक्टर-113 पुलिस द्वारा सरिया चोरी करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किए गए 05 बंडल सरिया, 14000 रुपए नकद व घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **22.08.2025** को **थाना सेक्टर-113** पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से सरिया चोरी करने वाले 04 अभियुक्त 1. शेर मौहम्मद उर्फ शेरा पुत्र नूरहसन 2. प्रमोद नागर पुत्र रंजीत नागर 3.आदित्य शर्मा उर्फ शिवा पुत्र श्रीकांत शर्मा 4. बबलू पुत्र सुन्दर लाल को थाना सेक्टर-113 क्षेत्र के अंतर्गत यूनिटेक यूनीहोम सोसाइटी के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किए गए 05 बंडल सरिया, 14000 रुपए नकद व घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा बरामद किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 22.08.2025 को वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तों द्वारा उनकी कंपनी के ट्रक से सरिया के बंडल चोरी कर लिए गए है। उक्त प्रकरण के संबंध में थाना सेक्टर-113 पर अभियोग पंजीकृत है, जिसमें अभियुक्त वांछित चल रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. शेर मौहम्मद उर्फ शेरा पुत्र नूरहसन निवासी ग्राम इकलैडी, थाना कपूरपुर, हापुड़, उम्र- 25 वर्ष
2. प्रमोद नागर पुत्र रंजीत नागर निवासी ग्राम कचैडा, थाना बादलपुर, गौदमबुद्रनगर उम्र- 47 वर्ष
3. 3.आदित्य शर्मा उर्फ शिवा पुत्र श्रीकांत शर्मा निवासी ग्राम खेडी चिंट्टम, थाना दौघट, बागपत, उम्र- 25 वर्ष
4. बबलू पुत्र सुन्दर लाल निवासी ग्राम मीरानगर, थाना कोठी, बाराबंकी वर्तमान पता गरिमा गार्डन, थाना टीला मोड़, गाजियाबाद, उम्र- 38 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0- 369/2025 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस, थाना सेक्टर-113, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. चोरी किए गए 05 बंडल सरिया।
2. 14000 रुपए नकद।
3. घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा बरामद।

3. थाना फेस-1 पुलिस व लुटेरे बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के संबंध में--

विवरण-- दिनांक **22.08.2025** को **थाना फेस-1 पुलिस** द्वारा सेक्टर-15ए के नाले से गोलचक्कर की ओर जाने वाले कट पर चेकिंग की जा रही थी तभी सामने से स्कूटी पर सवार 02 व्यक्ति आते दिखाई दिए। स्कूटी सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम को चेकिंग करता देख अपनी स्कूटी मोड़कर सेक्टर-14 के पीछे गंदे नालें की पटरी पर भगाने का प्रयास करने लगे। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा स्कूटी सवार व्यक्तियों का पीछा किया गया तो हड़बड़ाहट में स्कूटी गिर गई। स्कूटी सवार बदमाशों द्वारा अपने आपको पुलिस टीम से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में 02 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए जिनकी पहचान 1. अनस पुत्र अयाज निवासी ग्राम चिरोहाट, अररिया (बिहार) वर्तमान पता न्यू अशोक नगर, दिल्ली, उम्र 20 वर्ष 2. अमन पुत्र अजय कुमार निवासी सदरपुर कॉलोनी, सेक्टर-45, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर, उम्र 24 वर्ष के रूप में हुई है। अभियुक्त अनस के कब्जे से 01 तमंचा मय 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस व चोरी के 02 मोबाइल फोन व अभियुक्त अमन के कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन व 01 चाकू व घटना में प्रयुक्त चोरी की स्कूटी बिना रजि0नं0 प्लेट बरामद की गई है।

घायल अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम दोनों दोस्त है। हम लोग अपने शौक को पूरा करने के लिये चोरी और स्नैचिंग की घटनाओं को अन्जाम देते है। हमने पहले भी नोएडा व नोएडा के आसपास मोबाइल चोरी, स्कूटी चोरी की घटनाएं की है तथा दिनांक 12.07.2025 को हमने एक महिला से चैन स्नैचिंग करने का प्रयास किया व उसके विरोध करने पर हमने उसके चेहरे पर चाकू मारकर घायल कर दिया था, बरामद चाकू का प्रयोग महिला को मारने की घटना में प्रयुक्त किया गया था, जिसके संबंध में थाना फेस-1 पर मु0अ0सं0 278/2025 धारा 115(2)/352/118(1)/61(2) बीएनएस पंजीकृत है। अभियुक्तों की निशानदेही से 01 लोहे की रॉड (पाइप) बरामद की गई, जिसका प्रयोग दिनांक 09.07.2025 को अभियुक्तों द्वारा सेक्टर-16 कार मार्केट में एक व्यक्ति से मोबाईल छीनने को लेकर विवाद होने पर उसके साथ मारपीट की गई थी, जिसके संबंध में थाना फेस-1 पर मु0अ0सं0 272/2025 धारा 115(2)/117(2) बीएनएस पंजीकृत है। घायल अभियुक्तों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त अनस का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 415/2024 धारा 309(4)/331(6)/140(4) बीएनएस, थाना सेक्टर-20, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 262/2024 धारा 305ए/331ए बीएनएस, थाना सेक्टर-20, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 415/2024 धारा 140(4)/309(4)/317(2)/331(6) बीएनएस, थाना सेक्टर-20, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 421/2024 धारा 109(1)/317(5) बीएनएस व 3/9/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-20, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 570/2024 धारा 303(2)/317(2)/61(2) बीएनएस, थाना फेस-1, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0 278/2025 धारा 115(2)/352/118(1)/61(2) बीएनएस, थाना फेस-1, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0 272/2025 धारा 115(2)/117(2) बीएनएस, थाना फेस-1, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
8. मु0अ0सं0 274/2025 धारा 304(2) बीएनएस, थाना फेस-1, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

9. मु0अ0सं0 340/2025 धारा 304(2) बीएनएस, थाना फेस-1, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त अमन का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 278/2025 धारा 115(2)/352/118(1)/61(2) बीएनएस, थाना फेस-1, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 272/2025 धारा 115(2)/117(2) बीएनएस, थाना फेस-1, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 274/2025 धारा 304(2) बीएनएस, थाना फेस-1, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 340/2025 धारा 304(2) बीएनएस, थाना फेस-1, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

4. थाना इकोटेक-03 पुलिस द्वारा एटीएम में व्यक्तियों से धोखाधड़ी कर ठगी करने वाला अभियुक्त मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार--

विवरण-- दिनांक **22.08.2025** को **थाना इकोटेक-03 पुलिस** द्वारा याम्हा कट के पास चेकिंग की जा रही थी तभी सामने से मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने अपनी मोटरसाइकिल तेजी से मोड़कर कच्ची सड़क पर भगाने का प्रयास करने लगा व हड़बड़ाहट में मोटरसाइकिल गिर गई। बदमाश द्वारा अपने आप को पुलिस टीम से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान सन्नी उर्फ नितेश बाबू पुत्र वीर सिंह यादव निवासी ग्राम लहरापुर, थाना बिधूना, औरैया वर्तमान पता ग्राम मामूरा, थाना फेस-03 गौतमबुद्धनगर (उम्र 22 वर्ष) के रूप में हुई है। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा मय 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस .315 बोर, भिन्न भिन्न बैंकों के 03 एटीएम कार्ड व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल रजि0नं0- UP16DH9475 बरामद की गई है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्त सन्नी उर्फ नितेश बाबू एटीएम में घुसकर मशीन में कार्ड लगाने वाले स्थान पर फेविकॉल/ फेवीक्विक लगा देता था, जिससे पीड़ितों का एटीएम कार्ड मशीन में फंस जाता था। तभी अभियुक्त सन्नी के अन्य 02 साथी सुमित व संजय वहां पहुंचकर पीड़ितों को हेल्पलाइन नंबर के नाम पर अभियुक्त सन्नी उपरोक्त का नंबर दे दिया करते थे व अभियुक्त सन्नी उपरोक्त द्वारा पीड़ितों से एटीएम कार्ड के पिन की जानकारी लेकर बैंक में जाने को कहता जिससे पीड़ित परेशान होकर बैंक चले जाते और अभियुक्त सुमित व संजय द्वारा प्लास की मदद से एटीएम कार्ड खींचकर निकाल कर अन्य एटीएम में जाकर पीड़ितों के खातों से रुपए निकाल लेते थे। अभियुक्त सन्नी द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कई वारदातों का अंजाम दिया गया है। अभियुक्त सन्नी उपरोक्त के अन्य 02 साथी सुमित व संजय को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

अभियुक्त सन्नी उर्फ नितेश बाबू का आपराधिक इतिहास--

मु0अ0सं0- 316/25 धारा 318 (4)/305ए/317(2)/317(5) बीएनएस, थाना इकोटेक- 03, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।